भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3974**
दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 / 21 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग

3974. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार मानचित्रण, निगरानी, आपदा प्रबंधन और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ख) विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विद्यमान अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अवैध ड्रोन प्रयोक्ताओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) जी, हां। ड्रोनों को मानचित्रण, निगरानी, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, पेलोड वितरण, आदि जैसे विभिन्न कामों में उपयोग में लाया जाता है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सिविल रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) जिसे ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, उसके परिचालन के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड 3, श्रंखला X, भाग 1 जारी किया है। सीएआर 01.12.2018 से लागू है।
सीएआर के अनुसार सभी आरपीएएस को एक विशेष पहचान संख्या (यूआईएन) जारी की जानी अपेक्षित है तथा सभी प्रचालकों को नागर विमानन महानिदेशालय से मानवरहित विमान प्रचालन परमिट (यूएओपी) प्राप्त करना आवश्यक है। इन अनुमोदनों के उपरांत आरपीएएस को सीएआर के अनुसार अनुमत्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
(ख) डीजीसीए ने डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के प्रारंभिक संस्करण को प्रारंभ किया है। इस प्लेटफार्म में अन्य बातों के साथ-साथ आरपीएएस का पंजीकरण करना, आरपीएएस प्रचालन परमिट जारी करना, उड़ान मार्ग अनुमोदन, आरपीएएस उड़ानों की निगरानी तथा उड़ान के बाद डेटा विश्लेषण जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इस प्रकार डीजीसीए पंजीकृत सिविल आरपीएएस पर नजर रखता है। अनधिकृत ड्रोनो के मामले में भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश/प्रशासनों के समक्ष मामले को प्रस्तुत करती है।

*****